237
9/6/16

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

सत्यमेव जयते

ज्येष्ठ 18, बुधवार, शाके 1938–जून 08, 2016
Jyaistha 18, Wednesday, Saka 1938–June 08, 2016

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य–प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

अधिसूचना

जयपुर, जून 08, 2016

जी.एस.आर.18 :–राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. – (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 258 का संशोधन.– राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 258 के उप–नियम (1) के विद्यमान खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् : –

"(ग) पंचायत समिति और जिला परिषद सेवा में लिपिकवर्गीय और अधीनस्थ पद :

(i) सहायक कार्यालय अधीक्षक;
(ii) लिपिक ग्रेड–I;
(iii) लिपिक ग्रेड–II;
(iv) ड्राईवर;
(v) प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक;
(vi) ग्राम सेवक एवं पंचायत सचिव;
(vii) फिटर; और
(viii) हैण्डपम्प मिस्त्री।"

3. **नियम 259 का संशोधन.**– उक्त नियमों के नियम 259 के उप–नियम (6) के विद्यमान परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:–

"परन्तु यह और कि ग्राम सेवक और लिपिक ग्रेड–II के पदों के चयन के लिए सूची, राजस्थान अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय सेवा चयन बोर्ड द्वारा राज्य स्तर पर तैयार की जायेगी।"

4. नियम 263 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 263 के विद्यमान परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

"परन्तु यह और कि इस प्रकार अवधारित ग्राम सेवक और लिपिक ग्रेड–II के पदों की रिक्तियां आयुक्त, पंचायती राज, राजस्थान को संसूचित की जायेंगी।"

5. नियम 266 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 266 में,–

(i) विद्यमान खण्ड (2) और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(2) ग्राम सेवक एवं सचिव (100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा)	. स्नातक या सरकार द्वारा इसके समतुल्य घोषित अर्हता और इलैक्ट्रोनिक्स विभाग, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन डीओईएसीसी द्वारा संचालित "ओ" या उच्चतर लेवल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम। या व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय/राज्य परिषद् के अधीन आयोजित कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक (क.ऑ.प्रो.स.) /डाटा प्रेपरेशन और कम्प्यूटर सोफ्टवेअर (डा.प्रे.क.सो.) प्रमाणपत्र। या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा। या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त पॉलीटेक्निक संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी में डिप्लोमा। या राजस्थान नॉलेज कार्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रणाधीन, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा संचालित सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (रा.रा.सू.प्रौ.प्र.पा.)।"; और